NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-11-2026

विषय सूची

प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित

भारत के लिए बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चुनौती से निपटने हेतु समय रहते तैयारी आवश्यक

अक्टूबर 2026 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 89.99 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचा

बेंगलुरु में स्पोर्ट्स टेक हब का शुभारंभ

संक्षिप्त समाचार

भारत में संसद के विशेष सत्र

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2026

तांबे की कीमतों में गिरावट

महाराष्ट्र के समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त

प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- देशभर में 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में **बाल दिवस** मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनके विशेष स्नेह के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से 'चाचा नेहरू' के नाम से जाना जाता था।
- उनका जन्म 14 नवंबर, 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था।
- वे वर्ष 1947 से 1964 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आधुनिक भारत की आधारशिला रखने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

राष्ट्र निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का योगदान

- **राज्यों का पुनर्गठन :** उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया।
  - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारत की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को मान्यता प्रदान की गई।
- **संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा:** - उन्होंने संसदीय परिचर्चा, विधि के शासन तथा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पर विशेष बल दिया।
- **योजना आयोग की स्थापना :** नियोजित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई।
  - उनकी सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) प्रारंभ की।
  - प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया।
- **मिश्रित अर्थव्यवस्था :** - उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें रणनीतिक एवं आधारभूत उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई।
- **अवसंरचना का विकास :** उनकी सरकार ने भाखड़ा-नांगल, हीराकुंड तथा दामोदर घाटी जैसी अनेक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया।
  - उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार को प्रोत्साहित किया।
  - वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, जिसने भारत के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखी।
- **अनुसंधान एवं नवाचार :** उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया।
  - इसके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा दिया।
- **शिक्षा :** उन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित करने पर बल दिया।
- **गुटनिरपेक्षता :** उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई।
  - इसके माध्यम से शीत युद्ध के दौरान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता मिली।
- **पंचशील :** इसके अंतर्गत उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
  - वे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, निरस्त्रीकरण तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रबल समर्थक थे।

नेहरू की राष्ट्र निर्माण संबंधी दृष्टिकोण की आलोचना

- **सत्ता का केंद्रीकरण :** आलोचकों का तर्क है कि सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से संघीय स्वायत्तता तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर हुई।
- **विदेश नीति संबंधी चुनौतियाँ :** वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध ने भारत की रक्षा तैयारियों में खामियों तथा चीन के प्रति विदेश नीति की दूरदर्शिता संबंधी सीमाओं को उजागर किया।
- **गरीबी एवं असमानता :** नियोजित विकास के बावजूद गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ बनी रहीं।

निष्कर्ष

- पंडित जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र निर्माण संबंधी दृष्टि का उद्देश्य भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आधुनिक, लोकतांत्रिक एवं औद्योगीकृत गणराज्य में परिवर्तित करना था।

- लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक नियोजन तथा संस्थागत विकास पर उनके द्वारा दिया गया बल आधुनिक भारत की आधारशिला स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण रहा।

स्रोत: TH

भारत के लिए बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चुनौती से निपटने हेतु समय रहते तैयारी आवश्यक

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दो से अधिक संतान होने पर दंडित करने वाले कानूनों की प्रासंगिकता भारत में घटती प्रजनन दर के कारण समाप्त हो चुकी है।
    - विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत को वृद्ध होती जनसंख्या तथा कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के घटते अनुपात की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए समय रहते तैयारी करनी चाहिए।

कुल प्रजनन दर (TFR)

- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR), अर्थात् किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15–49 वर्ष) के दौरान जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या घटकर 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम है।
    - **प्रतिस्थापन प्रजनन दर :** यह बच्चों की वह औसत संख्या है, जिन्हें एक महिला को जन्म देना आवश्यक होता है, ताकि प्रवासन के प्रभाव को छोड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या का आकार स्थिर बना रहे।
- वर्ष 2024 में भारत के केवल पाँच राज्यों—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़—की कुल प्रजनन दर 2.1 से अधिक थी।
- दिल्ली में सबसे कम कुल प्रजनन दर 1.2 दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह दर 1.3 रही।
- वर्ष 1985 में भारत की कुल प्रजनन दर 4.3 थी, जो प्रतिवर्ष लगभग 0.06 की दर से घटती रही है। इस गिरावट के रुकने या पलटने के कोई संकेत नहीं हैं।
    - वर्तमान गिरावट की गति बनी रहने पर वर्ष 2031 तक भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.6 से भी कम होने की संभावना है।

निहितार्थ

- **जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति एवं अंततः स्थिरीकरण:** प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर का अर्थ है कि समय के साथ प्रत्येक आगामी पीढ़ी का आकार विगत पीढ़ी की तुलना में छोटा होता जाएगा।
    - अंततः जनसंख्या के स्थिर होने और उसके बाद घटने की संभावना है।
- **वृद्ध होती जनसंख्या में वृद्धि:** लंबे समय तक निम्न प्रजनन दर बने रहने से कुल जनसंख्या में वृद्ध नागरिकों का अनुपात बढ़ेगा।
    - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्ष 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है।
    - भारत को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे—
        - पेंशन संबंधी वित्तीय दायित्वों में वृद्धि।
        - स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय में बढ़ोतरी।
        - वृद्धावस्था चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती मांग।
- **भविष्य में श्रमबल संबंधी चुनौतियाँ:** जन्म दर में गिरावट के परिणामस्वरूप अंततः श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या कम हो जाती है।
    - यदि उत्पादकता में सुधार के माध्यम से घटते कार्यबल की भरपाई नहीं की जाती है, तो आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है।
- **क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन :** विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है।
    - अधिकांश दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी कम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर दर्ज की जा रही है।
    - इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है—
        - आंतरिक प्रवासन के स्वरूप में परिवर्तन।
        - राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव।
        - संसाधनों के आवंटन में बदलाव।
        - श्रम बाजार की गतिशीलता पर प्रभाव।

आगे की राह

- **नई जनसंख्या नीतियों की आवश्यकता :** भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं में धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बजाय वृद्ध होती जनसंख्या के प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- **जनसांख्यिकीय लाभांश को सुदृढ़ करने का अवसर :** भारत के पास अभी भी बड़ी कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या उपलब्ध है।
  - प्रजनन दर में कमी से परिवारों तथा सरकार पर आश्रित जनसंख्या का भार कम हो सकता है।
  - इससे निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा—
    - शिक्षा एवं कौशल विकास।
    - स्वास्थ्य सेवाएँ।
    - कार्यबल की दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि।

स्रोत: BL

अक्टूबर 2026 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 89.99 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचा

संदर्भ

- अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु एवं सेवा निर्यात सम्मिलित) 89.99 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 29.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

भारत के व्यापारिक प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ

- अक्टूबर 2026 में भारत का कुल आयात (वस्तु एवं सेवा आयात सम्मिलित) 110.07 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 16.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2026–27 के अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान कुल निर्यात 568.84 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  - **वस्तु निर्यात :** वित्त वर्ष 2026–27 के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वस्तु निर्यात बढ़कर 309.06 अरब डॉलर हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025–26 की समान अवधि में यह 253.40 अरब डॉलर था। इस प्रकार इसमें 21.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **सेवा निर्यात:** अप्रैल से अक्टूबर 2026–27 के दौरान सेवा निर्यात 259.78 अरब डॉलर रहा, जिसमें 10.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **गैर-पेट्रोलियम निर्यात :** अप्रैल से अक्टूबर 2026–27 के दौरान गैर-पेट्रोलियम निर्यात 259.22 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें 18.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **कुल आयात :** अप्रैल से अक्टूबर 2026–27 के दौरान कुल आयात बढ़कर 662.19 अरब डॉलर हो गया, जो 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

भारत के निर्यात में वृद्धि के प्रमुख कारक)

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विस्तार :** उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना तथा मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बढ़ते उत्पादन से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिला।
  - इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 62.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **पेट्रोलियम उत्पाद :** - रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि तथा वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ मांग के कारण अक्टूबर 2026 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 140.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- **रत्न एवं आभूषण :** बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों तथा मूल्यवर्धित उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि के कारण इनके निर्यात में 40.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **इंजीनियरिंग वस्तुएँ :** मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स तथा लौह एवं इस्पात उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 36.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- **निर्यात केंद्र के रूप में जिले (DEH):** इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट क्षमताओं एवं संसाधनों का उपयोग करके उसकी निर्यात क्षमता को विकसित करना है।
  - इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को केवल उत्पादन की इकाई के रूप में नहीं, बल्कि निर्यात नियोजन की एक इकाई के रूप में देखा जाता है।
- **विदेश व्यापार नीति, 2023 :** यह नीति व्यापार सुविधा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विविधीकरण के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है।
- **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme):** इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धिशील वृद्धि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इससे वैश्विक बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (RoDTEP):** इस योजना के अंतर्गत निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के दौरान वहन किए गए अंतर्निहित शुल्कों, करों तथा उपकरों

की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिनकी भरपाई अन्य माध्यमों से नहीं होती है।

- **निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (TIES):** इस योजना के अंतर्गत निर्यात संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - इसमें परीक्षण सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ, कोल्ड चेन, व्यापार केंद्र तथा संपर्क अवसंरचना का विकास शामिल है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ते निर्यात का महत्त्व

- **आर्थिक विकास :** निर्यात में वृद्धि से समग्र मांग का विस्तार होता है तथा औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।
  - इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में योगदान मिलता है।
- **विदेशी मुद्रा अर्जन:** निर्यात से प्राप्त आय विदेशी मुद्रा के प्रवाह को सुदृढ़ करती है।
  - इससे आवश्यक आयातों के वित्तपोषण की देश की क्षमता में वृद्धि होती है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण :** विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सुदृढ़ होगी।
  - साथ ही, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

भारत के निर्यात क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त परिवहन एवं संपर्क अवसंरचना:** बहुविध परिवहन संपर्क की कमी, बंदरगाहों पर भीड़भाड़ तथा परिवहन लागत में वृद्धि भारतीय उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।
- **तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी चुनौतियाँ:** विभिन्न देशों के तकनीकी मानकों, पर्यावरणीय आवश्यकताओं तथा गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी नियमों में अंतर के कारण भारतीय निर्यातकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ:** भू-राजनीतिक अस्थिरता, संरक्षणवादी नीतियाँ, शुल्कों में बदलाव तथा वैश्विक मांग में कमजोरी भारत के निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।
- **आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भरता:** कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भरता के कारण निर्यात विस्तार से प्राप्त होने वाले घरेलू आर्थिक लाभ सीमित हो जाते हैं।
- **वस्तु व्यापार घाटा :** निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद वस्तुओं का आयात निर्यात से अधिक बना हुआ है।
  - यह ऊर्जा, पूंजीगत वस्तुओं तथा मध्यवर्ती उत्पादों के लिए भारत की विदेशी निर्भरता को दर्शाता है।

आगे की राह

- **व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** पीएम गतिशक्ति तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत बंदरगाह अवसंरचना, बहुविध परिवहन संपर्क एवं डिजिटल व्यापार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- **MSME निर्यातकों को समर्थन:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए किफायती निर्यात ऋण, बीमा, गुणवत्ता प्रमाणन तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन मंचों तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा:** कुछ चुनिंदा निर्यात गंतव्यों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को अफ्रीका, आसियान (ASEAN), दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अन्य उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए।
- **मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग:** मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का बेहतर उपयोग करने के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक साझेदारियों को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि भारतीय उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच का विस्तार हो सके।
- **उच्च मूल्यवर्धित निर्यात को प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, औषधि, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रक्षा उपकरणों तथा अन्य प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

बेंगलुरु में स्पोर्ट्स टेक हब का शुभारंभ

संदर्भ

- केपीएमजी (KPMG) इंडिया ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा खेल उद्योग की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में एक **स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हब (खेल प्रौद्योगिकी केंद्र)** स्थापित किया है।

भारत का खेल उद्योग

- भारत का खेल उद्योग लगभग 21 अरब डॉलर का अनुमानित है, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 40 अरब डॉलर होने की संभावना है।

- देश का खेल उद्योग वर्तमान में प्रतिवर्ष 12–14 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो समग्र आर्थिक विकास दर की तुलना में लगभग दोगुना है।
- खेल प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अनुमानित आकार 1.2 अरब डॉलर है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रदर्शन विश्लेषण, स्मार्ट स्टेडियम, डिजिटल टिकटिंग तथा प्रशंसक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में अवसर सृजित हो रहे हैं।
- **क्रिकेट का प्रभुत्व :** भारत की खेल अर्थव्यवस्था में क्रिकेट की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है, जो दर्शाती है कि वाणिज्यिक निवेश का बड़ा हिस्सा एक ही खेल में केंद्रित है।
- **विनिर्माण केंद्र :** मेरठ और जालंधर घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण के प्रमुख केंद्र हैं।

भारत के खेल उद्योग की वृद्धि के प्रमुख कारक

- **पेशेवर खेल लीगों का विस्तार :** - इंडियन प्रीमियर लीग (IPL), प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग तथा प्रीमियर बैडमिंटन लीग के विस्तार से वाणिज्यिक निवेश और दर्शकों की सहभागिता में वृद्धि हुई है।
- **डिजिटल परिवर्तन :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कंप्यूटर विजन, पहनने योग्य उपकरणों तथा उन्नत विश्लेषण तकनीकों से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन और खेल प्रबंधन में परिवर्तन आ रहा है।
- **खेल अवसंरचना :** स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा खेल अकादमियों के विकास से इस क्षेत्र के अवसंरचनात्मक आधार का विस्तार हो रहा है।
- **अंतरराष्ट्रीय खेल महत्त्वाकांक्षाएँ :** वर्ष 2030 में अहमदाबाद में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षा से खेल अवसंरचना, सेवाओं एवं प्रौद्योगिकी की मांग बढ़ेगी।

भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ

- **खेलों में असमान भागीदारी:** ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, विभिन्न आय वर्गों, लैंगिक समूहों तथा सामाजिक वर्गों के बीच खेलों में भागीदारी असमान बनी हुई है।
- **खेल सुविधाओं का असमान वितरण:** विशेष रूप से महानगरों तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बीच खेल सुविधाओं का वितरण असमान है।
- **बुनियादी स्तर पर खेल सुविधाओं की कमी:** खेल के मैदानों, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों तथा संगठित प्रतियोगिताओं तक सीमित पहुँच के कारण बुनियादी स्तर पर खेलों में भागीदारी बाधित होती है।
- **शासन संबंधी कमियाँ :** कई राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को पेशेवर प्रबंधन, संस्थागत क्षमता तथा पारदर्शिता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **खेलों में निवेश का असमान वितरण:** खेलों में निवेश मुख्यतः व्यावसायिक रूप से आकर्षक खेलों, विशेषकर क्रिकेट में केंद्रित है।
  - बुनियादी स्तर के खेलों, महिला खेलों, पैरा-खेलों तथा कम व्यावसायिक लोकप्रियता वाले खेलों को वित्तपोषण की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **खेल पेशेवरों की कमी :** योग्य प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञों तथा खेल प्रशासकों की कमी खिलाड़ियों के विकास को प्रभावित करती है।
- **घरेलू विनिर्माताओं के समक्ष चुनौतियाँ:** घरेलू खेल सामग्री निर्माताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, परीक्षण सुविधाओं, अनुसंधान एवं विकास तथा अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहलें

- **खेलो भारत नीति, 2025 (राष्ट्रीय खेल नीति, 2025):** यह राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेती है।
  - इसका उद्देश्य एक समावेशी, प्रदर्शन-उन्मुख तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
- **राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 :** इसका उद्देश्य खेल संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
  - इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
    - **राष्ट्रीय खेल बोर्ड :** राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता तथा उनके शासन संबंधी मानकों की निगरानी के लिए इसकी स्थापना का प्रावधान है।
    - **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण:** खेल संबंधी विवादों के प्रभावी समाधान के लिए इसका प्रावधान किया गया है।
- **खेलो इंडिया योजना :** इसे वर्ष 2016–17 में व्यापक स्तर पर खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं की पहचान करने तथा खेल अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

- **खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (KIRTI):** इस पहल का लक्ष्य 9–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है।
  - इसके अंतर्गत प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों, मानकीकृत मूल्यांकन प्रोटोकॉल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा डेटा विश्लेषण का उपयोग करके खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाती है।
- **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI):**इसकी स्थापना वर्ष 1984 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
  - यह खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचिंग, अवसंरचना विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
- **खेल सामग्री विनिर्माण पहल :** केंद्रीय बजट 2026–27 में घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF):** इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी।
  - इसका उद्देश्य सरकार, कॉरपोरेट संस्थाओं तथा व्यक्तियों के योगदान के माध्यम से खेलों के विकास को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

- **जिला स्तरीय खेल अवसंरचना का विकास:** जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए तथा मौजूदा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सामुदायिक अवसंरचना तक पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।
- **निजी निवेश एवं साझेदारी को प्रोत्साहन:** विशेष रूप से बुनियादी स्तर के खेलों, महिला खेलों तथा पैरा-खेलों के विकास के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), निजी निवेश, प्रायोजन तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **परिणाम-आधारित खेल विकास :** - खेल विकास के मूल्यांकन में केवल निर्मित अवसंरचना तथा आवंटित धनराशि को आधार बनाने के बजाय निम्नलिखित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
  - खेलों में भागीदारी की दर।
  - खिलाड़ियों की प्रगति एवं प्रदर्शन।
  - खेल सुविधाओं का प्रभावी उपयोग।
  - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रदर्शन में सुधार।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

भारत में संसद के विशेष सत्र

संदर्भ

- केंद्र सरकार वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।

संसद के सत्र

- भारत में संसद का कोई निश्चित वार्षिक कैलेंडर निर्धारित नहीं है। परंपरागत रूप से संसद की बैठकें प्रतिवर्ष तीन सत्रों में आयोजित की जाती हैं:
  - **बजट सत्र :** सामान्यतः जनवरी से अप्रैल/मई तक आयोजित किया जाता है।
  - यह संसद का सबसे लंबा सत्र होता है।
  - **मानसून सत्र :** सामान्यतः जुलाई से अगस्त के दौरान आयोजित किया जाता है।
  - **शीतकालीन सत्र :** सामान्यतः नवंबर से दिसंबर के दौरान आयोजित किया जाता है।
- इन सत्रों का समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः इसके लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश ली जाती है।
- राष्ट्रपति औपचारिक रूप से संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करते हैं।
- **संसद का विशेष सत्र :**भारतीय संविधान में 'विशेष सत्र' को न तो परिभाषित किया गया है और न ही इसे अलग से मान्यता प्रदान की गई है।
  - इस शब्द का प्रयोग नियमित संसदीय कैलेंडर से अलग अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयोजित संसद के सत्रों के संदर्भ में किया जाता है।
  - संसद का विशेष सत्र कम समय के पूर्व नोटिस पर भी बुलाया जा सकता है।

संसद के सत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 85 :** राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए आहूत करते हैं, जिसे वे उपयुक्त समझते हैं।
  - इसके अनुसार, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

- राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विशेष बैठक):** संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अस्वीकार करने संबंधी संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है।
  - यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दसवें भाग के सदस्य लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं।
  - लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह सूचना राष्ट्रपति को दी जा सकती है।
  - यह प्रावधान वर्ष 1975–77 के आपातकाल के अनुभव के बाद **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** के माध्यम से जोड़ा गया था।

स्रोत: IE

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों की जाँच बंद करने तथा वर्ष 2021 से तालिबान द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों पर अपनी जाँच केंद्रित करने का निर्णय लिया है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

- -ICC एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाती है:
  - नरसंहार।
  - युद्ध अपराध।
  - मानवता के विरुद्ध अपराध।
  - आक्रामकता का अपराध।
- इसकी स्थापना वर्ष 2002 में रोम संविधि के अंतर्गत की गई थी, जिसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था।
- **रोम संविधि :** रोम संविधि को वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अपनाया गया था।
  - यह ICC को अपने सदस्य देशों के क्षेत्र में अथवा उनके नागरिकों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जाँच करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है, बशर्ते संबंधित देश की घरेलू न्यायिक व्यवस्था ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक हो या सक्षम न हो।
- **मुख्यालय :** इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।
- **प्रकृति :** यह एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- **सदस्यता :** वर्तमान में इसके 125 सदस्य राष्ट्र हैं।
- **स्वतंत्र पुलिस बल का अभाव :** ICC के पास अपना स्वतंत्र पुलिस बल नहीं है।
  - संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा अपने निर्णयों को लागू करने के लिए यह सदस्य देशों पर निर्भर रहता है।
- **अधिकार क्षेत्र :** यह व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चला सकता है।
  - इसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।
- **भारत एवं ICC :** भारत रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और न ही ICC का सदस्य है।

स्रोत: IE

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन गैर-इमारती वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित करके वन-आश्रित जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM)

- इसे वर्ष 2021–22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत जनजातीय समुदायों को समुदाय के स्वामित्व वाले **वन धन विकास केंद्रों** में संगठित किया जाता है।
- इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों को केवल कच्चे वन उत्पादों के विक्रेता से मूल्यवर्धित उत्पादों के उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **गैर-इमारती वन उपज का व्यवस्थित उत्पादन एवं विपणन:** यह गैर-इमारती वन उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करता है।

- **राष्ट्रीय एवं डिजिटल बाजारों से जुड़ाव:** यह जनजातीय समुदायों को व्यापक राष्ट्रीय एवं डिजिटल बाजारों से जोड़ता है।
  - इससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार उपलब्ध कराने तथा बेहतर विपणन के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था:** जनजातीय समुदायों से वन उपज की प्रत्यक्ष खरीद करके उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी प्रदान की जाती है।
- **कौशल एवं तकनीकी सहायता:** यह जनजातीय समुदायों को कौशल विकास, तकनीकी, विपणन तथा अवसंरचनात्मक सहायता भी प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन:** इसके अंतर्गत जनजातीय वन उपज संग्राहकों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया जाता है।
  - लगभग 300 जनजातीय सदस्यों वाले 15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र (VDVK) बनाया जाता है।
  - प्रत्येक वन धन विकास केंद्र के कम-से-कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से संबंधित होने चाहिए।

स्रोत:PIB

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2026

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने वर्ष 2026 एवं 2027 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना

- **उद्देश्य :** इस योजना का उद्देश्य देशभर के सिविल सेवकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को स्वीकार करना, मान्यता प्रदान करना तथा पुरस्कृत करना है।
  - इसके माध्यम से उत्कृष्टता, नवाचार तथा प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **पुरस्कार की श्रेणियाँ :**
  - **श्रेणी 1: 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलों का समग्र विकास:** इसके अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
  - **श्रेणी 2: आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम :** इसके अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
  - **श्रेणी 3: केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों एवं जिलों के लिए नवाचार:** इसके अंतर्गत 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- **पुरस्कार एवं प्रोत्साहन :** वर्ष 2026 के प्रधानमंत्री पुरस्कार में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - ट्रॉफी।
  - प्रशस्ति-पत्र।
  - पुरस्कृत जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- इस राशि का उपयोग परियोजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन अथवा जनकल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा।

स्रोत: PIB

तांबे की कीमतों में गिरावट

संदर्भ

- वैश्विक मानक बाजारों में तांबे की कीमतें लगभग चार महीनों के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई हैं।

परिचय

- तांबे की कीमतों में हालिया गिरावट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  - अमेरिकी डॉलर का सुदृढ़ होना।
  - अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका।
  - विशेष रूप से चीन से औद्योगिक मांग कमजोर होने की आशंका।
- **सकारात्मक प्रभाव:** तांबे की कीमतों में गिरावट से तांबे का उपयोग करने वाले उद्योगों को लाभ होगा, क्योंकि इससे उनकी आयात लागत कम होगी।
- **नकारात्मक प्रभाव:** हालांकि, कीमतों में लंबे समय तक गिरावट बने रहने से घरेलू अन्वेषण एवं खनन क्षेत्र में निवेश हतोत्साहित हो सकता है।

तांबे के बारे में

- तांबा (Cu) लाल-नारंगी रंग की एक नरम एवं अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है।
- यह अपनी उत्कृष्ट विद्युत एवं तापीय चालकता के लिए जाना जाता है।

- इन गुणों के कारण इसका उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:
  - विद्युत तारों के निर्माण में।
  - विद्युत शक्ति के संचरण में।
  - जलापूर्ति एवं प्लंबिंग व्यवस्था में।
  - इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में।
- **तांबे की प्रमुख मिश्रधातुएँ:**
  - **पीतल :** तांबा एवं जस्ता से निर्मित मिश्रधातु।
  - **कांसा :** तांबा एवं टिन से निर्मित मिश्रधातु।
  - ये मिश्रधातुएँ धातु की मजबूती तथा संक्षारण प्रतिरोधकता को बढ़ाती हैं।
- **वैश्विक उत्पादन में प्रमुख देश:**
  - **चिली:** खदानों से तांबे के उत्पादन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
  - **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC):** खदानों से तांबे के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
  - **चीन:** परिष्कृत तांबे का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वैश्विक परिष्कृत तांबा उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से अधिक है।
- **भारत में तांबे के प्रमुख संसाधन:** भारत में तांबे के अयस्क के प्रमुख संसाधन निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं:
  - राजस्थान की खेतड़ी तांबा पट्टी।
  - मध्य प्रदेश का मलांजखंड क्षेत्र।
  - झारखंड की सिंहभूम तांबा पट्टी।

स्रोत: TH

महाराष्ट्र के समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त

संदर्भ

- महाराष्ट्र के तीन समुद्र तटों—रत्नागिरी जिले के लाडघर एवं गुहागर तथा रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन को वर्ष 2026–27 के सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है?

- ब्लू फ्लैग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरणीय प्रमाणन है। यह उन समुद्र तटों, नौका विहार केंद्रों तथा नौका संचालनकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, जो निर्धारित 33 मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - **इसके मानदंडों को व्यापक रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:**
    - जल की गुणवत्ता।
    - पर्यावरण प्रबंधन।
    - सुरक्षा।
    - पर्यावरण संबंधी सूचना एवं शिक्षा।
- इस कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है।
  - इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1985 में फ्रांस में हुई थी। इसके बाद यह एक वैश्विक पर्यावरणीय प्रमाणन कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ।
- इस प्रमाणन का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। ब्लू फ्लैग का दर्जा बनाए रखने के लिए संबंधित स्थानों को निर्धारित मानदंडों का निरंतर पालन करना आवश्यक होता है।
- वर्ष 2026–27 के सत्र के लिए भारत में कुल 22 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है। इनमें 13 समुद्र तटों के प्रमाणन का नवीनीकरण किया गया है, जबकि 9 नए समुद्र तटों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के तीन समुद्र तट इन 9 नए समुद्र तटों में शामिल हैं।

संस्थागत ढाँचा एवं प्रमाणन प्रक्रिया

- प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी FEE द्वारा की जाती है। यह संगठन भाग लेने वाले देशों में राष्ट्रीय संचालक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है।
- सर्वप्रथम आवेदनों की जाँच राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए आवेदनों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग निर्णायक मंडल के पास भेजा जाता है।
- इसमें निम्नलिखित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं:
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन (UN Tourism)।
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)।

स्रोत: TH

■■■■